रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 913] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 21, 2014/वैशाख 1, 1936
No. 913] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 21, 2014/VAISAKHA 1, 1936

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2014

का. आ. 1108(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20)(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 37 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस बात का समाधान होने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, उक्त अधिनियम की अनुसूची-4 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिनियम की अनुसूची-4 में क्रम संख्यांक 17 के सामने स्तंभ (3) के अधीन प्रविष्टि "1.51" के स्थान पर प्रविष्टि "1.58" रखी जाएगी ।

[फा. सं. 15-8/2014-एनएफएसए]
दीपक कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2014

S.O. 1108(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 37 of the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary and expedient to do so, hereby makes the following amendment to Schedule IV of the said Act, namely :—

In the said Act, in Schedule IV against serial number 17, under Column 3, for the entry, namely "1.51", the entry, "1.58" shall be substituted.

[F. No. 15-8/2014-NFSA]
DEEPAK KUMAR, Jt. Secy.

1691 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.